"महिला उद्यमिता विकास महिला सशक्तिकरण का एक माध्यम"

Dr. Kishore Chitre
Asst. Prof. (J.B.S)
Govt- New Law College] Indore (M.P)

Abstract / सारांश

महिला मूल रूप से प्रारंभ से ही एक उद्यमी रही है। परन्तु उसके कार्य के स्वरूप और कार्यक्षेत्र में बहुत अधिक अंतर था। पहले महिलाएं अपने घर के कार्यों का प्रबंध करती थी बच्चों के वर्तमन एवं भविष्य की योजनाएं बनाती थी। सीमित पूंजी में अपने घर का खर्च चलाती थी अर्थात मुद्रा का प्रबंधन भी करती थी। अर्थात सुबह से लेकर शाम तक वह अपनी उद्यमी प्रकृति एवं कला उपयोग केवल अपने घर व परिवार को सजाने व संवारने के लिए करती थी। समय में परिवर्तन होने के साथ एवं उद्यमिता की पहचान एवं महत्व बढ़ता गया तथा इसके साथ ही महिलाओं ने स्वयं की शक्ति को पहचाना एवं उन्हें उद्यमी नाम दे दिया क्योंकि उनके कार्य का क्षेत्र घर की चार दीवारी से निकलकर सम्पूर्ण विश्व हो गया है तथा महिलाओं के कार्यों को पहचान मिलने लगी है।

प्रस्तावना :– उद्यमिता एक नये संगठन आरंभ करने के कार्य को कहा जाता है। का मुख्य आशय वर्तमान एवं भावी अवसरों का लाभ उठाने हेतु पूर्व दर्शन करना उद्यमिता कहलाता है। उद्यमिता एक जोखिम पूर्ण कार्य है जिसमें एक और तो लाभ होने की संभावना होती है वहीं दूसरी ओर व्यवसाय के सफल होने की अनिश्चिताएं और अन्य खतरे की भी बहुत संभावनाएं होती है।

उद्यमिता को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं. एक ऐसा व्यक्ति जो नवीन खोज करता है। विक्री और व्यवसायिक चतुरता के प्रयास से नवीन खोज को आर्थिक माल में बदलता है। जिसका परिणाम एक नया संगठन या एक परिपक्व संगठन का ज्ञात सुअवसर और अनुभव के आधार पर पुनः निर्माण करता है।

उद्यमी वह व्यक्ति है जिसमें निरंतर विश्वास तथा श्रेष्ठता के विषय में सोचने की शक्ति एवं गुण होता है तथा वह उनको व्यवहार में लाता है। किसी विचार, उद्देश्य उत्पाद अथवा सेवा का अविष्कार करने और उसे सामाजिक लाभ के लिए प्रयोग में लाने से ही यह होता है।

महिला उद्यमी परिचय :– समाज में व्याप्त आर्थिक सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों पर एक समाज में उद्यमियों का उदय काफी हद तक निर्भर करता है। दुनिया के उन्नत देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वनियोजित महिलाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। महिलाएं अब चूल्हा और घर तक सीमित नहीं है। महिलाओं की उद्यमशीलता बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने और उनका दोहन करने का समय है। लघु उद्योगों की दूसरी जनगणना के अनुसार भारत में कुल लघु उद्योगों में महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी 7.7 प्रतिशत है। हालांकि यह उनकी हिस्सेदारी का 10 प्रतिशत से कम है फिर भी हार्दिक विशेषता यह है कि, यह लगातार बढ़ रही है।

भारत सरकार के अनुसार–एक उद्यम जिसके पास एक महिला का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। जिसकी पूंजी का न्यूनतम वित्तीय ब्याज 51 प्रतिशत होता है और महिलाओं का उद्यम में उत्पन्न कम से कम 51 प्रतिशत रोजगार देता है।

रूहानी जे. एलिस के अनुसार महिला उद्यमिता एक उद्यम की इक्विटी और रोजगार में महिलाओं की भागीदारी पर आधारित है।"

इस प्रकार महिला उद्यमी वो है जो व्यवसायिक उद्यम के बारे में सोचती है इसे शुरू करती है, उत्पादन के कारकों को व्यवस्थित करती है और संयोजित करती है, उद्यम का संचालन करती है, जोखिम उठाती है।

महिला उद्यमिता:– महिला उद्यमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है तथा महिलाओं के बीच उद्यमिता की बढती हुई प्रवृत्ति स्वागत योग्य है। महिला उद्यमिता एक विशेष एवं महत्वपूर्ण योगदान, अर्थव्यवस्था में प्रदान करती है। महिला

महिला उद्यमिता महिला सशक्तिकरण का एक माध्यम भी है। सशक्तिकरण का तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से होता है, जिससे उसमें ये योग्यता आ जाती है कि वह अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके। महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में अपनी निजी स्वतंत्रता तथा स्वयं के फैसले लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना ही महिला सशक्तिकरण है।

महिलाएं सम्पूर्ण देश की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है, अतः अर्थव्यवस्था को मजबूत व सशक्त बनाने हेतु महिलाओं का सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है।

महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रमः– देश में इच्छुक महिला उद्यमियों को वित्तीय सहयोग प्रदान करने और उन्हें औपचारिक बैंकिंग संस्थानों से जोड़ने के लिए 2013 में भारतीय महिला बैंक लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इन बैंक के उद्देश्यों में से प्रमुख है भारतीय महिलाओं को नॉन बैंकिंग फायनेन्सर्स और साहूकारों से दूर रखना। क्योंकि ये पारंपरिक तौर पर महिलाओं की बचतों को खत्म कर देते है और कर्ज के बदले मोटी रकम वसूलते है। महिलाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशेषकृत बैंक नई उद्यमियों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आया है। सरकार द्वारा सन् 1954 से महिला विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। –

1. **अन्नपूर्णा योजना** :– सरकार द्वारा अन्नपूर्णा योजना 31 अक्टूबर 2015 को शुरू किया था।

2. **ओरियन्टल महिला विकास योजना** :– वे महिलाएं जो व्यक्तिगत रूप से या फिर संयुक्त रूप से एक मालिकाना चिंता के चलते 51 प्रतिशत शेयर पूंजी रखती है, उन्हें ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है। (25 लाख रूपये तक)
3. **मुद्रा योजना महिला उद्यमी** :– भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत वे महिलाएं जो अपना व्यवसाय छोटे उद्यमों से शुरू करना चाहती है, जैसे– टेलरिंग युनिट, ट्यूशन सेन्टर या ब्यूटी पॉलर तो उन्हें किसी समपार्धिक गारंटर की आवश्यकता के बिना ऋण दिया जाता है (50 हजार से 10 लाख तक)

4. **भारतीय महिला बैक व्यवयायिक ऋण :–** भारतीय महिला बैक व्यवयायिक ऋण को उन महिला उद्यमियों लद्यु किया गया है, जो अपना नया उद्यम खुदरा क्षेत्र में संपत्ति एस. एम. ई. से शुरू करना चाहती है।

5. **देना शक्ति योजना** :– अगर महिला उद्यमी कृषि, विनिर्माण, सूक्ष्म ऋण, खुदरा स्टोर या फिर सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र में अपना व्यवसाय की आवश्यकता होती है। उन्हें इस प्रकार के ऋण देना शक्ति योजना के तहत प्रदान किया जाता है । (20 लाख रूपये तक)

6. **उद्योगिनी योजना** :– इस योजना के तहत वह महिला उद्यमी जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष की है और जो अपना व्यवसाय छोटे उद्यमी क्षेत्र में कर रही है। (1 लाख रूपये तक)
7. **सेण्ड कल्याणी योजना** :– इस योजना में महिला उद्यमी को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के द्वारा उन्हें ऋण प्रदान किया जाता है। (1 लाख रूपये तक)

8. **महिला उद्यम निधि योजना** :– इस योजना को पंजाब नेशनल बैंक द्वारा शुरू किया गया, इसमें ब्यूटी पार्लर, डे केयर सेंटर, ऑटो रिक्शा आदि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। (10 लाख तक)

9. **स्त्री शक्ति योजनाः–** इसमें महिला उद्यमियों को व्यवसाय को बढ़ाने के लिए योजना का लाभ दिया जाता है (2 लाख रूपये अधिक)

महिला उद्यमियों की समस्याएं :– महिला उद्यमियों को भेदभाव की समस्या के साथ ही स्वयं के काबिलियत को साबित करने की भी समस्या का सामना करना पड़ता है। 1. महिला उद्यमिता सूचकांक की सूची में शामिल देशों में भारत 70 वे स्थान पर है। महिला उद्यमियों को मुख्य रूप से निम्न समस्याओं को सामना करना पड़ता है :

1. शिक्षा का अभाव (साक्षरता प्रतिशत केवल 18.5) है।
2. परिवार की भागीदारी
3. पुरूष प्रधान समाज समान उपचार अभी भी अनुपस्थित।
4. जानकारी और अनुभव का अभाव ।
5. वित्त की तरलता और आसान उपलब्धता ।
6. ऋण का अपर्याप्त आकार
7. बैंक योग्य परियोजनाओं के निर्माण में अनुभव की कमी।
8. मार्जिन मनी की आवश्यकता।
9. लोन प्राप्त करने में समय लगना ।
10. अशिक्षा के कारण बैंकिंग प्रक्रिया की अनदेखी।

यह सभी समस्याओं के आधार पर महिला कोशिशों के बावजूद, बैंक से ऋण और सहायता प्राप्त करने की समस्या अभी भी बनी हुई है। महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बैंकरो और सरकारी अधिकारियों सहित लोगों को उद्यमियों के रूप में महिलाओं को गंभीरता से लेना मुश्किल लगता है।

महिला उद्यमिता की समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव निम्न प्रकार है :

1) **वित्त प्रकोष्ठ :–** महिला उद्यमियों को आसान वित्त प्रदान करने के लिए विशेष वित्त प्रकोष्ठ खोले जाने चाहिए।

2. **कच्चे माल की कमी** :– सरकार को महिला उद्यमियों द्वारा दुर्लभ और आयातित कच्चे • माल और अन्य इनपुट की आपूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्था करती चाहिए।

3. **विपणन सहकारिता** = महिला उद्यमियों को विपणन सहकारी समितियों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

4. **शिक्षा और जागरूकता** – महिलाओं के प्रति नकारात्मक या प्रतिकूल दृष्टिकोण को बदलने के लिए गहन शैक्षिक और जागरूकता कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

5. **प्रशिक्षण सुविधाएं** :– उद्यमियों के विकास के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास काफी आवश्यक है। महिला उद्यमियों को सूठ करने के लिए विशेष प्रशिक्षण योजनाएं तैयार की जानी चाहिए।

6 महिला उद्यमियों की आवश्यकताओं के अनुरूप संस्थागत सहायता प्रणाली तैयार की जानी चाहिए।

7. सरकार को उद्यमिता विकास के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिला उद्यमियों को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए।

इस प्रकार अधिक से अधिक संभावित महिला उम्मीदवारों को उद्यमी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इसके लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी उद्यमिता विकास कार्यक्रम की आवश्यकता है।

निष्कर्ष :– इस प्रकार एक महिला उद्यमी वह है जो व्यवसाय शुरू करती है और इसे स्वतं रूप से प्रबंधित करती है और अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक रूप स्वतंत्र बनने के लिए चुनौतीपूर्ण भूमिका स्वीकार करती है। उद्यमिता का विकास आज प्रत्येक राष्ट्र की आवश्यकता एवं उत्तरदायित्व बन गया है। आज प्रत्येक देश की सरकार महिलाअ को उद्यमी बनाने हेतु अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित कर रही है, प्रेरणाएं एवं सुविधा प्रदान कर रही है तथा अनेक संस्थाओं व संगठनों का निर्माण कर रही है।

उद्यमिता विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसके द्वारा संभावित उद्यमियों पहचान की जाती है। भारत में उद्यमिता विकास की रफ्तार काफी धीमी रही है। यद्यपि महि उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में अनेक प्रयास कि जा रहे है तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उद्यमिता विक महिला सशक्तिकरण को करने का एक सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. उद्यमिता विकास डॉ. एस. एस. कनिका एस. चंद्र
2. उद्यमिता विकास एवं लघु व्यवसाय प्रबंध – एम.बी. शुक्ला
3. प्रबंध एवं उद्यमिता एन.वी.आर. नायडू
4. www-timesofindia-com
5 www-books-google-co-in
6- Women Entrepreneurship in India & Amita Kumari
7- Online Google search-